कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जालोर

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर स्तर पर अनुमोदनोपरान्त निम्न शर्तो के आधार पर गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सत्र 2012-13 से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. संस्था अनुदान की मांग नही करेगा।
2. संस्था में प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त किया जायेगा।
3. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के प्रावधानों की यथोचित पालना करनी होगी।
4. संस्था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोड अजमेर के मान्यता (सम्बद्धता) सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी।
5. संस्था सत्र 2012-13 में कक्षा 9वीं एवं सत्र 2013-14 में कक्षा 10 वीं प्रारम्भ करनी होगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निरीक्षण के समय किसी प्रकार की कोताही पाई गई तो संस्था की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही अविलम्ब कर दी जावेगी।
7. संस्था को निर्धारित आरक्षित कोष रखना होगा।
8. संस्था द्वारा विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
9. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशों की अनिवार्य रुप से पालना सुनिश्चित करनी होगी एवं वाछित सूचनाऐं/अभिलेख उपलब्ध करवाने होंगे।
10. संस्था को मान्यता हेतु प्रपत्र 'क' तीन प्रतियों में भरकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को मय शुल्क के उपलब्ध करवाना होगा एवं समय पर प्रपत्र 'क' भरकर प्रस्तुत नही करने पर परीक्षार्थियों के परीक्षा से वंचित रहने तथा विलम्ब शुल्क के भुगतान के लिए सम्बन्धित संस्था ही जिम्मेदार रहेगी।
11. शहरी क्षैत्र में कक्षा 9वीं की छात्र संख्या 20 एवं छात्रा संख्या 15 से कम हो तो कक्षाऐं आरम्भ नही की जावें।
12. संस्था को प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त करने हेतु हर वर्ष समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन करना होगा।
13. संस्था को अध्यापक/प्रार्थी की नियुक्ति विभागीय नियमान्तर्गत प्रक्रिया अपनाकर करनी होगी, जिसमें जिशिअ, माध्यमिक का प्रतिनिधि मनोनीत हो एवं विभागीय अनुमोदन प्राप्त किया जावें।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक),जालोर

Scanned by CamScanner

14. संस्था को प्रतिवर्ष भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर आवश्यक रूप से इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

15. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर विद्यार्थियों से फीस ली जावें साथ ही विद्यालय समय चक्र, समय संचालन शिविरा कलेण्डर के अनुसार रखा जाना अनिवार्य होगा।

16. विद्यालय में कार्यरत अध्यापक/कार्मिक को विभागीय नियमानुसार वेतन भुगतान एवं अन्य देय सुविधा उपलब्ध करवानी होगी।

17. अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित नियमों की पालना अक्षरशः करनी होगी। अन्यथा दी गई मान्यता निरस्त की जा सकेगी।

18. क्रमोन्नत विद्यालयों को आदेश जारी होने की तिथि से दो माह के मध्य अथवा परीक्षा आवेदन पत्र भरने के एक माह पूर्व जो भी पहले बोर्ड से अस्थाई मान्यता हेतु प्रपत्र 'क' भरकर जमा करवा देवें अन्यथा क्रमोन्नति आदेश जारी किये गये सत्र के लिये प्रभावी नही होंगे। दो माह के बाद विलम्ब शुल्क भी बोर्ड को देना होगा।

क.सं.	जिला	गैर सरकारी विद्यालय का नाम	मान्यता का स्तर	माध्यम
1	जालोर	सेन्ट पॉल्स स्कूल,(जालोर)	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक	अंग्रेजी

निरीक्षण दल द्वारा लगाये आक्षेपों की पूर्ति निश्चित समय अवधि में पूर्ण करनी होगी। प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति, भवन सम्बन्धी आक्षेपों की पूर्ति प्रबन्ध समिति संबंधी आक्षेपों की पूर्ति करने की शर्त पर मान्यता दी जाती है।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक),जालोर

क्रमांक/जिशिअ/मा/जा/मान्यता/2011/344
दिनांकः– 25-6-2012

प्रतिलिपिः–
1. श्रीमान उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
4. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
5. गैर सरकारी विद्यालय सेन्ट पॉल्स स्कूल जालोर
6. रक्षक पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक),जालोर

//तौकीर//

Scanned by CamScanner